BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

NEW DELHI

INDEX

IN

AFFIDAVIT ON BEHALF OF MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY/ RESPONDENT NO. 8

IN

ORIGINAL APPLICATON NO. 417 OF 2022

Niranjan Bagchi ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Others ....Respondents

Sl. No.	Particulars	Page
1.	Response Affidavit	
2.	**ANNEXURE-1** Copy of letter dated 02.07.2024 of the Respondent No. 8 addressed to the Respondent No. 4.	
3.	**ANNEXURE-2** Copy of report of Office Assistant, Junior Engineer and Supervisor of the Respondent No. 8 dated 18.07.2024 submitted to the deponent.	
4.	**ANNEXURE-3**	

	Copy of letter dated 23.07.2024 of the Respondent No. 8 addressed to Respondent No. 4.	
5.	**ANNEXURE-4** Copy of letter dated 28.09.2024 of the Respondent No. 8 addressed to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun/ Respondent No. 4.	
6.	**ANNEXURE-5** Copy of letter dated 09.10.2024 issued by the Respondent No. 8 to the Department of Revenue, State of Uttarakhand.	
7.	Vakalatnama	

Date:

(Vinay Garg)
Advocate
Counsel for Respondent No. 8

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY/ RESPONDENT NO. 8

IN

ORIGINAL APPLICATON NO. 417 OF 2022

Niranjan Bagchi ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Others ....Respondents

Response Affidavit on behalf of Respondent No. 8/ Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun.

I, Harichand Singh Rana, aged about 58 years, S/O. Shri Sovan Singh Rana, presently posted as Superintendent Engineer, Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun do hereby solemnly state on oath as under:-

1. That the Deponent is presently posted as Superintendent Engineer, Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun and is fully authorized and competent to swear this affidavit on behalf of Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun who has been impleaded as Respondent No. 8 vide order dated 24.07.2024. The

NOTARY Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.09/01/02 Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

Deponent is well conversant with the facts of the case hence swearing this affidavit on behalf of the Respondent No. 8.

2. That this Hon'ble Tribunal vide the aforesaid order dated 24.07.2024 impleaded Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun as Respondent No.8 and in paragraph No. 7 directed the Respondent No. 8 to file its response, particularly in respect of the steps taken for removal of encroachment. The relevant paragraph is quoted for the convenience of this Hon'ble Tribunal –

> *"Registry shall issue notice to the newly impleaded respondent who shall fill its response particularly in respect of the steps taken for removal of encroachments and if not taken in past, it shall take effective steps in next two months and submit Report before next date."*

3. That incompliance of the aforesaid directions, the Respondent No. 8 is filing hereunder its Action Taken Report.

4. That it is humbly stated that vide G.O. No. 568/XVIII(II)2016-03(65)/2015 dated 02.06.2016, certain portion of the Government land in villages Kathbangla, Veer Gabbar Singh Basti, Tarla Nangal, Chidowali, Kandoli, Dhakpatti and Happy Enclave all situated on the banks of River Rispana was transferred to the Management of Respondent No. 8 by the State Government for the purpose of River Front Development Project.

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.09/01/02
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

5. That pursuant to the orders passed by this Hon'ble Tribunal, Nagar Nigam, Dehradun/Respondent No. 4 forwarded the

list of 413 encroachments in the aforesaid villages for necessary action on the part of Respondent No. 8. The action had to be initiated taken into consideration the protection given to the encroachers/unauthorized constructions raised prior to 11.03.2016 under the Uttarakhand Special Provisions for Urban bodies Authorities Act, 2018.

6. That pursuant to the above, the Respondent No. 8 issued notices on 22.05.2024 asking the said encroachers to submit evidence/proof with regard to their date of their respective constructions if they were in existence prior to 11.03.2016.

7. That on enquiry having been conducted of the documentary evidences so received by the Respondent No. 8, 162 encroachments out of total 413 encroachments were found to be in existence prior to 11.03.2016. The remaining 251 unauthorized encroachers were issued notices dated 19.06.2024 for removal of their respective unauthorized encroachments within 03 days.

8. That after the issuance of the aforesaid notices, 120 unauthorized encroachers also submitted their respective documentary evidence with regard to their constructions being in existence prior to 11.03.2016.

According to the documentary evidence so submitted, construction of 131 unauthorized encroachers were found to be raised after 11.03.2016. Out of these 131 encroachers, as per the list of unauthorized encroachers so forwarded by the Nagar Nigam, Dehradun/Respondent No. 4, 25 encroachers could neither be located nor be served notices, nor could be

NOTARY STATE OF UTTARAKHAND Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.09/01/02 Dehradun

verified at site. Thus, total 106 unauthorized encroachers were identified and could be earmarked.

9. That the Respondent No. 8 in coordination with District and Police Administration carried out demolition drive from 24.06.2024 to 28.06.2024. 55 unauthorized encroachments, which came into existence after 11.03.2016, were removed. During the demolition drive, in addition, 06 unauthorized encroachers removed their construction on their own.

10. That the process of verification/demolition of the remaining 45 unauthorized encroachers could not be completed on account of consistent rain during that period.

11. That complete details of the action taken by the Respondent No. 8, as narrated in the foregoing paras of this affidavit, was given by the Respondent No. 8 to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun/Respondent No. 4 vide its letter dated 02.07.2024. Copy of letter dated 02.07.2024 is being filed and placed as **ANNEXURE-1** to this affidavit.

12. That so far as the remaining 25 encroachers which earlier could not be located, the Respondent No. 8 further made enquiry but the said encroachers remained unlocated/unidentified. Copy of report of Office Assistant, Junior Engineer and Supervisor of the Respondent No. 8 dated 18.07.2024 submitted to the deponent is being filed and placed as **ANNEXURE-2** to this affidavit.

NOTARY ★ Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.09/01/02 Dehradun ★ STATE OF UTTARAKHAND

13. That in order to comply with the directions of this Hon'ble Tribunal, the Respondent No. 8 further vide its letter dated

23.07.2024 requested the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun/Respondent No. 4 to constitute a Joint Committee for identification of the 25 unidentified/ unearmarked encroachers. So far as 45 encroachers whose constructions could not be verified earlier due to continuous rain, on verification of the documentary evidence, were found to have raised construction prior to 11.03.2016. Copy of letter dated 23.07.2024 of the Respondent No. 8 addressed to Respondent No. 4 is being filed and placed as **ANNEXURE-3** to this affidavit.

14. That pursuant to the above, a Joint Committee also consisting of the officers of the Municipal Corporation carried out site inspection of the aforesaid villages on 08.08.2024 and 09.08.2024. During the aforesaid inspection 20 unauthorized encroachers out of total 25 unearmarked/ unidentified encroachers submitted their documentary evidence with regard to their respective construction being in existence prior to 11.03.2016. The unauthorized construction of the remaining 05 unauthorized encroachers were demolished. Copy of letter dated 28.09.2024 of the Respondent No. 8 addressed to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun/ Respondent No. 4 is being filed and placed as **ANNEXURE-4** to this affidavit.

15. That in accordance with the directions passed by this Hon'ble Tribunal for rehabilitation of the persons to be displaced, the Respondent No. 8 vide its letter dated 09.10.2024 requested the Department of Revenue, State of Uttarakhand to provide and transfer certain land for the purpose of construction of EWS Houses for rehabilitation

NOTARY ★ Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.09/01/02 Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

of the affected displaced persons under River Front Development Scheme. Copy of letter dated 09.10.2024 issued by the Respondent No. 8 to the Department of Revenue, State of Uttarakhand is being filed and placed as **ANNEXURE-5** to this affidavit.

16. That Action Taken Report is being submitted for perusal of this Hon'ble Tribunal in compliance of order dated 24.07.2024.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above-named deponent, do hereby verify the contents of this Affidavit as true and correct and are verified on the basis of record. The annexures are true copies of the original. Nothing material has been concealed.

Verified today the 11 day of October, 2024 at Dehradun.

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.09/01/02
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by Shri Harichand Singh Rana who is identified by Shri Amit Chaudhary at Dehradun on 11/10/2024

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

DEPONENT

Identified by.

Amit Chaudhary
Advocate
Reg. No. UA5541/2004
Mob. 9897001990
Email: amit_4925@yahoo.co.in

ANNEXURE-1

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक– 1321 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 02/07/2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

विषय:–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक–25.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक हेतु अपने पत्रांक–1789 दिनांक 08/05/2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी संलग्न सूची के अनुसार रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना हेतु एम0डी0डी0ए0 के प्रबन्धन में रिस्पना नदी पर कांठ बंगला, वीर गब्बर सिहं बस्ती, तरला नागल, चिड़ोवाली, कण्डोली, ढाकपट्‌टी, हैप्पी एन्कलेव में शासनादेश संख्या–568/XVIII(II)2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के द्वारा सौपी गयी सरकारी भूमि पर उल्लिखित कुल 413 अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करते हुये प्राधिकरण को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अतिक्रमणकारियों को उनका अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व होने के सम्बन्ध में वैद्य साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 22/05/2024 को नोटिस प्रेषित किये गये। प्राधिकरण द्वारा प्रेषित नोटिस के प्रतिउत्तर के क्रम में चिन्हित अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसकी जाँचोंपरान्त कुल 413 में से 162 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/साक्ष्यों के आधार पर निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व के पाये गये। शेष 251 अवैध अतिक्रमणकारियों को पुनः दिनांक 19/06/2024 को 03 दिन में अवैध निर्माण को स्वयं हटाने अथवा खाली करने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये, जिनमें से पुनः नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त 120 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व होने के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये तथा शेष 131 अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा किया गया निर्माण प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त होना पाया गया तथा नगर निगम द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार 25 अतिक्रमणकारी जिनका नाम व पता न पाये जाने के कारण नोटिसों की तामीली नहीं हो पायी और न ही मौके पर तश्दीक हुये। जिसके उपरान्त 106 अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया। प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से आपसी समन्वय स्थापित करते हुये कांठ बंगला, वीर गब्बर सिहं बस्ती, तरला नागल, चिड़ोवाली, कण्डोली, ढाकपट्‌टी, हैप्पी एन्कलेव में दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त

Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.09/01/07 Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

3/

Colly.

निर्मित 55 अवैध निर्माणों को दिनांक 24/06/2024 से दिनांक 28/06/2024 तक ध्वस्त किया गया तथा ध्वस्तीकरण के दौरान 06 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं से निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अवशेष 45 प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा मौके पर अभिलेखों के सत्यापन/ध्वस्तीकरण कार्यवाही जारी है किन्तु निरन्तर वर्षा के कारण उक्त कार्यवाही वर्तमान समय तक पूर्ण नहीं की जा सकी।

अतः आख्या अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ प्रस्तुत।

संलग्नकः— यथोक्तानुसार।

भवदीय,

(बंशीधर तिवारी),
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg. No. 09/01/02
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ANNEXURE-2

SE MDDA
18/07/2024

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

महोदय,

दिनांक 18/07/2024

कृपया आपके आदेश पत्रांक–241/म0दे0वि0प्रा0/एन0जी0टी0/2024 दिनांक 22/06/2024 के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में कांठ बंगला, वीर गब्बर सिहं बस्ती, तरला नागल, चिड़ोवाली, कण्डोली, ढाकपट्टी, हैप्पी एन्कलेव में अवशेष 45 अवैध अतिक्रमणों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा मौके पर जाकर सम्बंधित अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया, जिस पर सम्बंधित अतिक्रमणकारियों द्वारा अपना निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व के होने के सम्बन्ध में बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये, जिनके आधार पर उनके निर्माण/अतिक्रमण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व के पाये गये। अवशेष 25 अतिक्रमण जो कि नगर निगम द्वारा प्रेषित संयुक्त टीम की सर्वे में अज्ञात के रूप में उल्लेखित थे, उनकी मौके पर चिन्हिकरण एवं जानकारी नहीं हो सकी।

इस सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि उक्तानुसार 25 गैर चिन्हित अतिक्रमणों के प्रकरण में नगर निगम द्वारा गठित संयुक्त कमेटी के साथ मौके पर संयुक्त रूप से चिन्हिकरण किया जाना उचित होगा।

रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

18/07/2024

J.E
18/07/2024
D.S. Chaudhary

18-7-24

Seen
SE (MDDA)
18/07/2024

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.09/01/02
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ANNEXURE-3

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक–1479/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक 23 जुलाई, 2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक–25.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक हेतु अपने पत्रांक–1789 दिनांक 08/05/2024 के सम्बन्ध में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्रांक–1321/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक 02/07/2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया था कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी संलग्न सूची के अनुसार रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना हेतु एम0डी0डी0ए0 के प्रबन्धन में रिस्पना नदी पर कांठ बंगला, वीर गब्बर सिहं बस्ती, तरला नागल, चिड़ोवाली, कण्डोली, ढाकपट्टी, हैप्पी एन्कलेव में शासनादेश संख्या–568/XVIII(II)2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के द्वारा सौपी गयी सरकारी भूमि पर उल्लिखित कुल 413 अवैध अतिक्रमणों के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्रेषित नोटिस के प्रतिउत्तर के क्रम में कुल 282 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा अपना निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व होने के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, तथा शेष 131 अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा किया गया निर्माण प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त होना पाया गया तथा नगर निगम द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार 25 अतिक्रमणकारी जिनका नाम व पता न पाये जाने के कारण नोटिसों की तामीली नहीं हो पायी और न ही मौके पर तश्दीक हुये।

प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से आपसी समन्वय स्थापित करते हुये कांठ बंगला, वीर गब्बर सिहं बस्ती, तरला नागल, चिड़ोवाली, कण्डोली, ढाकपट्टी, हैप्पी एन्कलेव में दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त निर्मित 55 अवैध निर्माणों को दिनांक 24/06/2024 से दिनांक 28/06/2024 तक ध्वस्त किया गया तथा ध्वस्तीकरण के दौरान 06 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं से निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अवशेष 45 प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा मौके पर अभिलेखों के सत्यापन/ध्वस्तीकरण कार्यवाही निरन्तर वर्षा के कारण तत्समय नहीं की जा सकी।

वर्तमान समय में प्राधिकरण द्वारा उक्त अवशेष 45 अवैध अतिक्रमण/निर्माण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा मौके पर जाँच की गयी, जाँच में उक्त अवशेष 45 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा मौके पर अपना निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का होने के सम्बन्ध में बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराये गये, जिनके आधार पर उनका अवैध अतिक्रमण/निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का होना पाया गया तथा अवशेष 25 अतिक्रमण जो कि नगर निगम द्वारा प्रेषित संयुक्त टीम की सर्वे में अज्ञात के रूप में उल्लेखित थे, उनकी मौके पर चिन्हिकरण एवं जानकारी नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में उक्तानुसार 25 गैर चिन्हित अतिक्रमणों के प्रकरण में नगर

क्रमशः–2

Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.09/01/02 Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

Colly

निगम द्वारा गठित संयुक्त कमेटी के साथ मौके पर संयुक्त रूप से चिन्हिकरण कराते हुये तदोंपरान्त जाँच के उपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(एच0सी0एस0राणा)
अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

Recieved
23/03/24
7.S(?)

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.09/01/02
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ANNEXURE-4

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक– 2143 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांक 28, सितम्बर, 2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक–25.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक हेतु प्राधिकरण द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रांक–1509 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 दिनांक 26 / 07 / 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना हेतु एम0डी0डी0ए0 के प्रबन्धन में रिस्पना नदी पर कांठ बंगला, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल, चिड़ोवाली, कण्डोली, ढाकपट्टी, हैप्पी एन्कलेव में पूर्व में नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार उल्लिखित कुल 413 अवैध अतिक्रमण / निर्माणों में से अवशेष 25 अवैध अतिक्रमण / निर्माण सम्बंधी प्रकरणों में जिनका मौके पर चिन्हिकरण एवं जानकारी नहीं हो पायी थी। उक्त 25 अवैध अतिक्रमण / निर्माण के सम्बन्ध में आपके द्वारा पूर्व में गठित संयुक्त कमेटी के साथ पुनः मौके पर संयुक्त रूप से प्राधिकरण के कार्मिकों को चिन्हिकरण कराने के सम्बन्ध में समिति को निर्देशित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में आपके द्वारा प्रेषित पत्रांक–2214 / भूमि0 / 2024 दिनांक 06 / 08 / 2024 के माध्यम से उक्त अवशेष 25 अवैध अतिक्रमण / निर्माणों का संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु नगर निगम स्तर से पूर्व में गठित टास्क फोर्स को एम0डी0डी0ए0 के साथ मौके पर पता सत्यापन हेतु दिनांक 08 / 08 / 2024 को तिथि निर्धारित की गयी थी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि दिनांक 08 / 08 / 2024 व दि0 09 / 08 / 2024 को काठबंगला, तरला नागल, चॉलग, वीर गब्बर सिंह बस्ती, चिड़ोवाली व कण्डोली में प्राधिकरण द्वारा गठित टीम एवं पूर्व में नगर निगम द्वारा गठित टाक्स फोर्स टीम–1 व टीम–2 के साथ समन्वय स्थापित करते हुये पुनः अवशेष 25 प्रकरणों के चिन्हिकरण तथा एन0जी0टी0 के आदेश अनुसार अभिलेख सत्यापन हेतु संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवशेष 25 अवैध अतिक्रमणकारियों में से 20 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा अपना निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का होने के सम्बन्ध में बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिनके आधार पर उनका अवैध अतिक्रमण / निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का होना पाया गया है तथा शेष 05 अवैध अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण / निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 के उपरान्त का पाया गया, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

सं/
(बंशीधर तिवारी),
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सं/
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.09/01/02
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ANNEXURE-5

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 2238 /म0दे0वि0प्रा0/भू-अर्जन/2024 दिनांक 09, अक्टूबर, 2024

सेवा में,

सचिव,
राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय योजना के निर्माण हेतु रीवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट योजना के लिए चिन्हित एम0डी0डी0ए0 के प्रबन्धन में सौंपी गयी ग्राम–धोरणखास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1ख, 225क, 225ड, 250ख, 250 ग, 251 ख, व 257 मिन0 मध्ये बंजर श्रेणी 5(3)ड. में परिवर्तित कुल रकबा 7.8918है0 तथा मौजा–जाखन स्थित भूमि खसरा नम्बर 886, 999क, 1001, 1002 ख मिन0 मध्ये 2.5798है0 सहित कुल 10.4716है0 भूमि का मालिकाना हक/स्वामित्व निःशुल्क प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र दिनांक 886 दिनांक 02 अगस्त, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को 15000 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त है, जिसके सापेक्ष वर्तमान समय तक एम0डी0डी0ए0 द्वारा 704 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण पूर्ण करते हुए नगर निगम द्वारा तैयार की गयी पात्रता सूची के अनुसार पात्रों को आंवटित किया जा चुका है। प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप वर्तमान समय में प्राधिकरण के पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण नहीं किया जा पा रहा है। इसके अतिरिक्त मा0 न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित जनहित याचिका संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में रिस्पना नदी पर बसी अवैध मलिन बस्तियों में हुये अवैध अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाते हुए पुर्नवासित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 568/XVIII(II) 2016–03(65)/2015 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 02 जून, 2016 के द्वारा रीवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट परियोजना हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 के अन्तर्गत बिन्दाल एवं रिस्पना नदी के आसपास स्थित ग्रमों की कुल 94.0830है0 भूमि का प्रबन्धन उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 के नियम 115 ख (1) के अधीन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है, तथा शासन के पत्र संख्या 1186/XVIII(II)/2019–03 (65) /2015 राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 एवं संख्या 82/XVIII(II)/2020– 03(65) /2015 राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी सदर देहरादून द्वारा वाद संख्या 06/2019–20 सरकार बनाम एम0डी0डी0ए0, में उक्त भूमि की श्रेणी 6(1) जलमग्न से श्रेणी 5 (3) बंजर में परिवर्तन करने के दिनांक 26.02.2020 को आदेश पारित किये गये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय योजना के निर्माण हेतु ग्राम–धोरणखास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1ख, 225क, 225ड, 250ख, 250 ग, 251 ख, व 257 मिन0 मध्ये बंजर श्रेणी 5(3)ड. में परिवर्तित कुल रकबा 7.8918है0 तथा मौजा–जाखन स्थित भूमि खसरा नम्बर 886, 999क, 1001,1002 ख मिन0 मध्ये 2.5798है0 सहित कुल 10.4716है0 भूमि उपयुक्त पायी गयी है। वर्तमान में प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है एवं प्राधिकरण के प्रबन्धन एवं कब्जे में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये यदि उक्त चिन्हित भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जाती है तो इससे रीवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट कार्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास नीति के अनुसार ई0डब्लू0एस0 भवन पात्र आवंटियों को 6.0 लाख की लागत पर आवंटित किया जाता है, जबकि वास्तविकता में उक्त भवनों की लागत डेढ़ गुना से अधिक आती है। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट को वित्तीय रूप से व्यवहार्य

कमशः–2

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.09/01/02
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

628

Colly

(Financially Feasible) बनाये जाने एंव ई0डब्लू0एस0 भवनों की निर्माण लागत को Cross Subsidized करने हेतु ई0डब्लू0एस0 भवनों के साथ–साथ अन्य आय वर्गो के लिये भी आवासीय योजना के निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु ग्राम–धोरणखास स्थित बंजर श्रेणी की भूमि खसरा नम्बर 1ख, 225क, 225ड, 250ख, 250 ग, 251 ख, व 257 मिन0 मध्ये बंजर श्रेणी 5(3)ड. में परिवर्तित कुल रकबा 7.8918है0 तथा मौजा–जाखन स्थित बंजी श्रेणी की भूमि खसरा नम्बर 886, 999क, 1001, 1002 ख मिन0 मध्ये 2.5798है0 सहित कुल 10.4716है0 भूमि का मालिकाना हक/स्वामित्व प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करने का कष्ट करें, जिससे कि यथाशीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण प्रारम्भ करते हुए चरणबद्व रूप से रिस्पना नदी के किनारे स्थित अवैध बस्तियों को ध्वस्त करते हुए उनका पुर्नवास किया जा सके।

संलग्नक– 1–नकल खतौनी।
2–भूमि का बंजर श्रेणी में परिवर्तन सम्बन्धी आदेश।
3–भूमि प्रबन्धन सम्बन्धी शासनादेश की प्रति।
4– मा0 न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश की प्रति।

भवदीय,

ह0/

(बंशीधर तिवारी),
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः–
1– सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– जिलाधिकारी देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.09/01/02
Dehradun
OF UTTARAKHAND

VAKALATNAMA

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. (s) 417 / 2022

Niranjan Bagchi .... Applicant

VERSUS

State of Uttarakhand and Others

............Respondent

VAKALATNAMA

I Harichand Singh Rana, S/o. Shri Sovan Singh Rana presently posted as Superintendent Engineer, Mussoorie Dehradun Development Authority, Transport Nagar, Saharanpur Road, Dehradun on behalf of MDDA /Respondent No. 8 in the above application do hereby appoint and retain Shri **VINAY GARG** Advocate to act and appear for me/us in the above matter and on my/our behalf, to conduct and prosecute (or defend) the same and to appear in all proceedings that may be taken in respect of any application connected with the same or any decree or order passed therein including proceeding in taxation and application for review, to file and obtain return of documents and to deposit and receive money on my/our behalf in the said matter and to represent me/us and to take all necessary steps on my/our behalf in the above matter. I/We agree to ratify all acts done by the aforesaid advocate in pursuance of this authority.

Dated this the 10th Day of October, 2024 at Dehradun

Respondent No. 8

Mussoorie Dehradun Development Authority

SUPERINTENDENT ENGINEER (S.E.)
M.D.D.A.
DEHRADUN
(Official Seal)

Accepted:

VINAY GARG

Advocate
C-253 (F.F.), Defence Colony
New Delhi – 110 024, INDIA

Phone: 011- 4174 0212

Signatures of Respondent No. 8 Identified by

Amit Chaudhary
Advocate, at Dehradun
Reg. No. UA5541/04